(115)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4034–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–10–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद प्रकरण कमांक 144/अपील/2012–13 (3/अपील/2013–14).

1–गोकुल पंवार आ0स्व0महादेव पंवार
2–सदाशिव पंवार आ0स्व0महादेव पंवार
3–जीवन पंवार आ0स्व0महादेव पंवार
4–गुड्डु उर्फ सालकराम पंवार आ0स्व0महादेव पंवार
5–श्रीमती मैना बाई पंवार पत्नि स्व0महादेव पंवार
सभी निवासी ग्राम चिचंडा तहसील मुलताई जिला बैतूल

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्रीमती दुर्गा बाई पत्नि दयाराम पंवार
2–दशरथ आ0गिरधारी पंवार
3–भरत आ0 गिरधारी पंवार
सभी निवासी ग्राम चिचंडा तहसील मुलताई जिला बैतूल

.....अनावेदकगण

श्री एन0पी0शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के0पी0यादव, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–10–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम चिचण्डा तहसील मुलताई स्थित भूमि खसरा नम्बर 533 एवं 535 कुल रकबा 8.288 हेक्टेयर भूमि अनावेदकगण द्वारा बैनामा दिनांक 22–1–1987 के द्वारा आवेदकगण के पिता से क्रय की गई तथा इस बैनामें के आधार पर ग्राम पंचायत चिचंडा के सरपंच द्वारा दिनांक 11–8–1997 को संशोधन कर अनावेदकगण के नाम दर्ज किये गये तथा ऋण पुस्तिका प्रदान की गई । इस संशोधन आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 जिला बैतूल के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया। प्रथम व्यवहार न्यायालय वर्ग–2 मुलताई द्वारा दिनांक 17–8–11 को आदेश पारित कर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य नही होने से निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 29–2–12 को आदेश पारित आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील समय बाह्य होने से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–10–2016 को आदेश पारित अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक की ओर से प्रस्तुत याचिका एवं विवादित भूमियों के प्रस्तुत 5 साला खसरा वर्ष 1984 से 1988 से सुस्पष्ट है कि उक्त दोनों भूमियॉ पूर्व में डोमाजी के नाम अभिलेख पर दर्ज रही है तथा उनकी मृत्यु बाद वारिसान हक से वर्ष 1985–86 में उनके वारिसान महादेव तथा किशन, चिरोंजी, कसिया, बेला, बुलकी, गहनाबाई के नाम दर्ज हुये । सहखातेदार महादेव की मृत्यु होने पर आवेदक के नाम सहखातेदारों के साथ शामिलात के रूप में दर्ज हुये । ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण एवं बटवारे के पूर्व सहखातेदार आवेदकगणों को न तो कोई सूचना पत्र जारी किया गया और न ही

आम सूचना का इश्तेहार जारी किया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत चिचंडा के द्वारा विधि निर्धारित प्रकियाओं एवं नियमों को नजरअंदाज करते हुये संशोधन पंजी कमांक 15 पर नियम विरूद्ध बटवारा एवं नामान्तरण की कार्यवाही की गई है । इस कारण ऐसे आदेश को विधिक रूप से मान्य नहीं किया जा सकता है ।

(2) विकेता भी नामान्तरण प्रकरण में हितबद्ध व्यक्ति है । विकेता को सूचना दिये बगैर किया गया नामान्तरण विधि मान्य नहीं होता है । इस प्रकरण में भी विकेता को सूचना नहीं दी गई है और एकपक्षीय आदेश अनावेदक के चाहे अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है जो निरस्त योग्य है ।

(3) उत्तरवादी द्वारा विवादित भूमियों जिसमें आवेदकगण सहखातेदार है तथा राजस्व अभिलेख पर उनके नाम भी दर्ज है, जिन्हें नामान्तरण बटवारें की कोई सूचना पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है और न ही आम इश्तहार जारी किया गया है । ऐसी स्थिति में आवेदक को नामान्तरण बटवारा हेतु ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश की जानकारी आदेश दिनांक को न होकर अनावेदकगण द्वारा वर्ष 2011 में कयशुदा भूमि के कराये जा रहे सीमांकन के नोटिस अनावेदकगण को दिनांक 29–6–2011 को प्राप्त होने पर उक्त नामान्तरण की पहली बार जानकारी होने पर उसके द्वारा बिना किसी विलम्ब के नकल प्राप्त कर दिनांक 2–7–11 को ही प्रथम अपील विधि द्वारा निर्धारित समयावधि के अंदर मर्यादा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र मय शपथपत्र के साथ प्रस्तुत की थी। अनावेदकगण को विधिवत् आहू किया गया, परन्तु उनके द्वारा आवेदक के प्रस्तुत शपथपत्र का कोई खण्डन नहीं किया ऐसे अखण्डनीय शपथपत्र को नजरअंदाज कर तथा प्रथम जानकारी दिवस से अपील प्रस्तुत की अवधि का स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र पर मौजूद होने के बावजूद अपीलीय न्यायालयों द्वारा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ मर्यादा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन में दिन प्रतिदिन के विलम्ब का कारण दर्शित नहीं मानते हुये मनमाने ढॅग से आवेदक की अपील विधिक प्रावधानों के

विपरीत जाकर निरस्त कर विधि की गंभीर भूल की है । इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य आदेश निरस्ती योग्य है ।

(4) संहिता की धारा 109, 110 व नामान्तरण नियम 27 के आलोक में विचारण न्यायालय ग्राम पंचायत चिचंडा द्वारा संशोधन पंजी कमांक 15 प्रमाणित आदेश दिनांक 11–8–1997 एवं प्रथम अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मुलताई द्वारा अपील कमांक 43/अ–6/10–11 में पारित आदेश दिनांक 29–2–12 एवं द्वितीय अपील में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–10–16 विधिक प्रावधानों नियमों व प्रकिया के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस कारण ग्राम पंचायत चिचंडा के द्वारा संशोधन पंजी कमांक 15 पर पारित आदेश एवं निम्न दोनों अपील न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये यह निगरानी स्वीकार की जावे एवं वादग्रस्त भूमियों पर ग्राम पंचायत द्वारा संशोधन पंजी 15 प्रमाणित दिनांक 11–8–97 के पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख पर दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक ने आवेदकों के पिता से प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1987 में कय की है, लेकिन नाम परिवर्तन वर्ष 1997 में कराया गया है। नाम परिवर्तन महादेव की मृत्यु के बाद की कार्यवाही में तहसील न्यायालय को अभिलिखित भूमिस्वामी के वारिस होने से आवेदकों को सुनना था, जो कि नहीं सुना गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय सीमा में मान्य कर गुणदोष पर आदेश पारित करना चाहिये था, जो कि उनके द्वारा समय सीमा के बिन्दु पर अपील खारिज करने में त्रुटि की गई है और अपर आयुक्त द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि

करने में त्रुटि की गई । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय सीमा में मान्य कर गुणदोष पर निर्णय लेने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–10–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय सीमा में मान्य करते हुये प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर